



**कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)**

राजा पंचम सिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर (म.प्र.) 474002

**डॉ. अजय कौशल
कुलसचिव**

Ph- : 0751-2970519 (O)

E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र./कु.स./प्रशा./2025-26/2667

दिनांक: 31/10/2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय प्रमंडल की 57वीं बैठक दिनांक 30.06.2025 के पद क्रमांक 03 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 906 दिनांक 27.06.2013, अधिसूचना क्रमांक 4422 दिनांक 18.01.2016 एवं अधिसूचना क्रमांक कु.स./स्था./अ.सू./2018/5033 दिनांक 09.01.2018 में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय अंतर्गत इकाइयों में निर्धारित शर्तों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर कार्य हेतु देय मानदेय में 7वें वेतनमान के अनुरूप वर्तमान में देय बेसिक वेतन के आधार पर निम्न श्रेणी अनुसार वृद्धि किये जाने एवं निम्न शर्तों का प्रमण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

क्र.	पदनाम	वर्तमान लेवल (7वां वेतनमान)	पूर्व में निर्धारित मानदेय की दरें (रु./मासिक)	वर्तमान वेतनमान (7वें) के आधार पर मानदेय की निर्धारित दरें (रु./मासिक)
1.	निजसचिव	लेवल-9 (36200-114800)	रु. 12000/-	रु. 36000/-
2.	सहायक ग्रेड-1/स्टेनोग्राफर	लेवल-7 (28700-91300)	रु. 10000/-	रु. 28000/-
3.	प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	लेवल-6 (25300-80500)	रु. 8000/-	रु. 25000/-
4.	सहायक ग्रेड-2	लेवल-6 (25300-80500)	रु. 8000/-	रु. 20000/-
5.	सहायक ग्रेड-3/ कम्प्यूटर ऑपरेटर (समकक्ष)	लेवल-4 (19500-62000) /लेवल-6 (25300-80500)	रु. 6000/-	रु. 19000/-

- ईकाइयों में शासकीय आवास रिक्त होने पर (उपलब्धता के आधार पर) अनुबंधित कर्मचारियों को भी विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत वि.वि. नियमानुसार आवास आवंटित किये जा सकेंगे, परंतु आवास आवंटन में अनुबंधित कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।
- अनुबंधित कर्मचारियों को देय मानदेय सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम वेतन से, प्राप्त प्रथम पेंशन घटाने पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगा।
- माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत ही ईकाइयों में कर्मचारी अनुबंध पर रखे जा सकेंगे तथा अनुबंध आदेश कुलसचिव कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

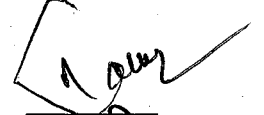
क्रमशः.....02

// 02 //

- उक्त पदों पर नियमित भर्ती होने तक ही अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छः-छः माह के लिए अनुबंध पर रखे जायेंगे।

❖ मानदेय की उक्तानुसार संशोधित दरें दिनांक 01.07.2025 से लागू होगी।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

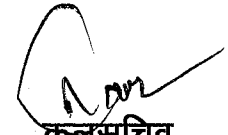

कुलसचिव

दिनांक: 31/10/2025

पृष्ठा. क्र./कु.स./प्रशा./2025-26/2668

प्रतिलिपि — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. निदेशक अनुसंधान सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. निदेशक शिक्षण एवं उप निदेशक छात्र कल्याण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
6. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सिहोर/खण्डवा/मंदसौर
7. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. सह संचालक अनुसंधान/प्रभारी, समस्त अनुसंधान केन्द्र।
9. उप कुलसचिव (स्था./शैक्ष.), रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर वि.वि. पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
11. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
12. सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव